



विधान भवन,  
लखनऊ

दिनांक .....17 सितम्बर, 2022

प्रिय महोदय / महोदया,


मुझे आपको यह सूचित करने की अपेक्षा की गयी है कि सोमवार, दिनांक: 19 सितम्बर, 2022 से प्रारम्भ होने वाले उत्तर प्रदेश विधान सभा की अट्टारहवीं विधान सभा के वर्ष 2022 के द्वितीय सत्र के दौरान मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के निर्देशानुसार सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थायें निम्नवत् की गयी हैं :-

- 1 - उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रक्रिया सम्बन्धी निदेशों के अनुसार विधान सभा परिसर में किसी मा0 सदस्य, विधान सभा अथवा उनसे सम्बद्ध शैडो तथा गन मैन द्वारा असलहा लाना प्रतिषिद्ध है।
- 2 - विधान सभा के उपवेशन के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से विधान सभामण्डप एवं विधान सभा परिसर में पेजर, मोबाइल फोन एवं इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना प्रतिषिद्ध है।
- 3 - विधान सभा मण्डप में ब्रीफकेस एवं बैग लाना वर्जित है। सभामण्डप में यदि कोई साहित्य लाना हो तो उसे पारदर्शी आवरण में लाया जा सकता है।
- 4 - मा0 सदस्यों के साथ विधान भवन परिसर में किसी सहवर्ती का प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।
- 5 - **विधान भवन में आने वाले व्यक्तियों तथा वाहनों का प्रवेश केवल प्रवेश-पत्र के आधार पर अनुमन्य होगा तथा मा0 सदस्यों के साथ उन्ही चालकों का प्रवेश अनुमन्य होगा, जो प्रवेश-पत्र धारक होंगे। सुरक्षाकर्मी द्वारा माँगे जाने पर अपना प्रवेश-पत्र अनिवार्य रूप से दिखाना होगा।**
- 6 - विधान मण्डल दलों के ऐसे नेतागण जिन्हें जेड (Z) या जेड प्लस (Z+) श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, अपने साथ अधिकतम चार अंगरक्षक विधान भवन के मुख्य पोर्टिको तक ला सकेंगे।
- 7 - मा0 सदस्यों के प्रवेश-पत्र लगे वाहन विधान भवन के गेट नं.- 01 से प्रवेश कर गेट नं.- 03 से बाहर निकलेंगे। उक्त वाहनों की पार्किंग व्यवस्था लोकभवन में सुनिश्चित की गयी है।
- 8 - मा0 सदस्यों के प्रवेश-पत्र लगे स्वयं चालित वाहनों का विधान भवन के गेट नं.- 05 एवं 07 से प्रवेश अनुमन्य होगा, जिन्हें गेट नं.- 07 एवं 08 के मध्य तथा गेट नं.- 07 एवं 04 के मध्य पार्क किया जायेगा।

- 9 - विधान भवन में प्रवेश करने वाले वाहनों के शीशे नीचे कराकर "इनवर्टेड मिरर" से जांच की जायेगी। ऐसे वाहनों में बैठे समस्त व्यक्तियों के पास विधान भवन प्रवेश-पत्र होना अनिवार्य है। ऐसे वाहन जिनमें ब्लैक फिल्म लगी हो, का विधान भवन में प्रवेश पूर्णतया प्रतिषिद्ध होगा।
- 10 - विधान सभा सत्र के दौरान विधान मण्डल पार्टी कार्यालय में केवल मा0 सदस्यों का आवागमन होगा। मा0 सदस्यों के साथ कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। इस व्यवस्था में मा0 सदस्यों का सहयोग अपेक्षित होगा।
- 11 - **मा0 मंत्रीगणों एवं मा0 सदस्यगणों द्वारा मीडिया बाइट एवं साक्षात्कार हेतु विधान सभा के प्रथम तल पर स्थित प्रेस रूम के सामने डायस की व्यवस्था की गयी है। इसमें समस्त मा0 सदस्यों से सहयोग अपेक्षित है।**

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम- 3(य) के अनुसार "सदन के परिसर" का तात्पर्य मुख्य विधान सभा मण्डप, उसकी दीर्घायें, दोनो लॉबी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कक्ष, विधान सभा सचिवालय के नियन्त्रण अथवा अध्यासन के सभी कक्ष, विधान पुस्तकालय, विभिन्न राजनैतिक दलों को आवंटित कक्ष, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन हॉल उससे सम्बद्ध जलपान गृह तथा उनके सामने के समस्त बरामदे तथा उपर्युक्त कक्षों एवं बरामदों में जाने वाली सीढ़ियों से है तथा उन स्थानों से भी है जिन्हें मा0 अध्यक्ष समय-समय पर इस हेतु निर्दिष्ट करें। अनुरोध है कि कृपया मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(प्रदीप दुबे)

माननीय सदस्यगण,  
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।